उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के दिनांक 23.02.2018 को सम्पन्न वित्त समिति की 11वीं बैठक का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की 11वीं वित्त समिति की बैठक दिनांक 23.02.2018 को पूर्वाह्न 11.30 बजे विश्वविद्यालय सभागार में प्रारम्भ हुई। बैठक में निम्न पदाधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. प्रोफेसर नागेश्वर राव,
   मा0 कुलपति जी, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय। — अध्यक्ष

2. डॉ0 सविता मोहन, निदेशक उच्च शिक्षा
   (प्रतिनिधि सचिव, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड शासन) — सदस्य

3. सुश्री कृष्णा रौंकली
   निदेशक वित्त, गोविन्द बल्लभ पंत विश्वविद्यालय, पंतनगर
   (प्रतिनिधि सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन) — सदस्य

4. प्रो0 बी.एस. पठानिया, रिटायर्ड डीन ऑफ लैग्वेज
   हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, शिमला। — सदस्य

5. श्रीमती आभा गर्खाल, वित्त नियंत्रक,
   उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय। — सदस्य/सचिव

6. प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र,
   कुलसचिव,
   उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय। — विशेष आमंत्रित सदस्य

7. श्री खेमराज भटट, सहायक कुलसचिव (वित्त)
   उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय। — आमंत्रित सदस्य

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी जिला नैनीताल।

दिनांक 23 फरवरी, 2018 (शुक्रवार) को वित्त समिति की 11वीं बैठक कुलपति एवं अध्यक्ष वित्त समिति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय सभागार में पूर्वाह्न 11:30 बजे सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्यों ने भाग लिया। जिसमें निम्न बाह्य एवं आन्तरिक सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

1. प्रो0 नागेश्वर राव, — अध्यक्ष
   कुलपति
   उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय।

2. डॉ0 सविता मोहन — सदस्य
   निदेशक उच्च शिक्षा।
   (प्रतिनिधि सचिव, उच्च शिक्षा)
   उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

3. सुश्री कृष्णा रौंकली — सदस्य
   निदेशक वित्त, गोविन्द बल्लभ पंत विश्वविद्यालय, पंतनगर
   (प्रतिनिधि सचिव, वित्त)
   उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

4. डॉ0 बी.एस. पठानिया, — सदस्य
   रिटायर्ड डीन ऑफ लैंग्वेज
   हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी
   शिमला

5. श्रीमती आभा गर्खाल — सदस्य सचिव
   वित्त नियंत्रक,
   उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,

6. प्रो0 आर0सी0 मिश्र, — विशेष आमंत्रित सदस्य
   कुलसचिव,
   उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,

   23/2/18

7. श्री खेमराज भटट
   सहायक कुलसचिव, (वित्त)
   उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,

मद संख्या 11.04 – वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु विभिन्न मदों में अनुदान स्वीकृत किये जाने के निमित्त शासन को प्रेषित प्रस्ताव पर विचार।

2018–19 के लिए विभिन्न मदों में शासन को प्रेषित बजट प्रस्ताव का विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रपत्रों का अवलोकन करते हुए मितव्ययिता के साथ बजट उपभोग करने पर बल दिया। साथ ही शासन से अनुदान प्राप्ति की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय स्रोत से व्यय किये जाने की स्वीकृति तथा अनुदान प्राप्त होने के उपरान्त व्यय की गयी धनराशि को समायोजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी, व्यय विवरण को वित्त समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया।

मद संख्या 11.05– निर्माण एवं अन्य कार्यों हेतु आयोजनागत पक्ष में वित्तीय वर्ष 2017–18 में अवमुक्त धनराशि एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए पुनर्आंगणांनुसार माँग का विवरण।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए अतिशीघ्र शासन को बजट अवमुक्त करने हेतु पत्राचार करने के निर्देश दिए, समिति द्वारा सर्वसम्मति से ₹ 22,20,00,000/– के आंगणित बजट प्रस्ताव को औचित्यपूर्ण मानते समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्यों को सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया।

मद संख्या– 11.06– वित्तीय वर्ष 2017–18 में अन्य आय स्रोतों (शुल्कादि) से प्राप्त आय एवं इसके विपरीत विभिन्न मदों में व्यय की गयी धनराशि का विवरण तथा विभिन्न मदों में पुर्नविनियोग की कार्योत्तर स्वीकृति।

समिति के सम्मुख वित्तीय वर्ष 2016–2017 के अंतिम अवशेष तथा 2017–2018 में अन्य स्रोतों से विश्वविद्यालय को प्राप्त आय–व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा बजट विवरण तालिका का अवलोकन कर आय–व्यय की पुष्टि की एवं वित्तीय वर्ष 2017–2018 के बजट मदों में पुर्नविनियोग पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या– 11.07 – शुल्कादि मदों से वित्तीय वर्ष 2018–2019 हेतु प्राविधानित बजट पारित किये जाने पर विचार एवं अनुमोदन।

समिति द्वारा विश्वविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर बेहतर वित्तीय नियोजन, तथा विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या के

सर्वप्रथम सदस्य, सचिव वित्त समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। अध्यक्ष वित्त समिति कुलपति जी ने विश्वविद्यालय के शैक्षणिक क्रिया–कलापों की संक्षिप्त जानकारी सभी सदस्यों के सम्मुख रखी एवं सभी सदस्यों का पुनः स्वागत किया तत्पश्चात सदस्य सचिव वित्त समिति ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। बैठक का कोरम पूर्ण रहा तथा वित्त समिति के सम्मुख कुल प्राप्त 17 प्रस्तावों पर विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

मद संख्या 11.01– दिनांक वित्त समिति की दिनांक–22 मार्च 2017 को सम्पन्न हुई दसवीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

सचिव वित्त समिति द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि वित्त समिति की 10वीं बैठक दिनांक 22 मार्च, 2017 में लिए गए निर्णय का कार्यवृत्त समस्त सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रेषित किया गया। प्रेषित कार्यवृत्त पर कोई सुझाव/संशोधन प्राप्त नहीं हुआ, तदनुरूप समिति द्वारा सर्वसम्मिति से 10वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

मद संख्या 11.02 – वित्त समिति की दिनांक– 22 मार्च, 2017 को सम्पन्न हुई, दसवीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

वित्त समिति की 10वीं बैठक में पारित निर्णयों पर कृत कार्यवाही का विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा समस्त बिन्दुओं पर विश्वविद्यालय स्तर से कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया गया।

मद संख्या 11.03– शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के आयोजनेत्तर पक्ष में प्राप्त धनराशि तथा वेतनादि मद में विश्वविद्यालय के स्रोतों से अतिरिक्त व्यय की गयी धनराशि की कार्येत्तर स्वीकृति।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में शासन द्वारा अनुदान संख्या–11 वेतन मद–43 में स्वीकृत ₹ 3,30,00,000 तथा अनुमानित व्यय ₹ 4,74,48,224 है तथा मद संख्या–20 का विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रपत्रों का अवलोकन करते हुए सर्वसम्मति से कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या–11.11 परीक्षा से इतर कार्यों को सम्पादित करने एवं अपने निर्धारित कार्य के अतिरिक्त कार्य हेतु मानदेय दिये जाने के संबंध में।

वित्त समिति द्वारा परीक्षा विभाग, प्रवेश विभाग तथा एम.पी. डी.डी. अनुभाग के चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को भी तृतीय श्रेणी कार्मिकों की भांति धनराशि ₹ 500 अनुमन्य किया गया साथ ही धनराशि ₹ 500 के सम्बन्ध में दसवीं बैठक की मद संख्या–10.11 की अन्य शर्ते यथावत रखने पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या–11.12 विश्वविद्यालय में नियोजित अकादमिक परामर्शदाताओं के मानदेय वृद्धि पर विचार।

विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू संचालन हेतु विश्वविद्यालय में अकादमिक परामर्शदाताओं का नियोजन 06 माह या अनधिक अवधि हेतु किया जाता है। विभिन्न विद्याशाखाओं के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में नियोजित अकादमिक परामर्शदाताओं के वर्तमान प्रचलित मानदेय में न्यूनतम 20 प्रतिशत वर्तमान प्रचलित दर को आधार मानते हुए वृद्धि की जाय। मानदेय न्यूनतम धनराशि ₹ 20,000 एवं अधिकतम ₹ 27,500 में 20 प्रतिशत की वृद्धि अगले नियोजन से किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।

मद संख्या–11.13 विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों के शुल्क ढांचे में संशोधन विषयक प्रस्ताव पर विचार

कतिपय पाठ्यक्रमों में छात्रों की संख्या कम होने के कारण विश्वविद्यालय की गठित समिति दिनांक 20.02.2018 की संस्तुतियों पर विस्तार से चर्चा हुई, तथा समिति ने प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

01. कम्प्यूटर साइंस एव आई0टी0 विद्याशाखा,

S. No.	Name of the Program	Duration	Examination and other fee	Proposed Program fee(Rs.)	Total Fee (Rs.)
1	Diploma in Information Technology	1 year	1900	4000	5900
2	Certificate in Computer Applications	6 months	950	2000	2950
3	Certificate of E-Governance and Cyber Security	6 months	600	2500	3100

दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2018–2019 में विश्वविद्यालय के आय स्रोतों (शुल्कादि) से विभिन्न मदों में कुल धनराशि ₹ 50,2200,000/– का प्राविधान किये जाने को औचित्यपूर्ण मानते हुए मद संख्या 01 से 51 के बजट प्राविधान विवरण का अवलोकन करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या–11.08– भारतीय पुनर्वास परिषद एवं सैमका (वैल्कम टू कॉमनवैल्थ एजुकेशन मीडिया सेन्टर फार एशिया) परियोजनाओं में प्राप्त अनुदान एवं व्यय का विवरण।

समिति के समक्ष वर्ष 2017–2018 में भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली एवं कॉमन वेल्थ एजुकेशन मीडिया सेन्टर द्वारा प्राप्त धनराशि का विवरण प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा आय–व्यय विवरण का अवलोकन कर सहमति प्रकट की गयी।

मद संख्या 11:09– पी.एच.डी. पाठ्यक्रम शुल्क निर्धारण एवं वाह्य परीक्षक हेतु देय मानदेय एवं यात्रा भत्ता पर विचार

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत प्रस्तावित दरों को इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि अधिनियम एवं परिनियम में दी गयी व्यवस्थाओं के अनुरूप यथाशीघ्र सम्बन्धित प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली जाय, ताकि भविष्य में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो।

मद संख्या 11:10– विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशेष मानदेय दिये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

समिति द्वारा पूर्व की दरों में आंशिक संशोधन पर सहमति प्रकट करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

1		2
कार्मिकों की श्रेणी	पूर्व की अनुमोदित दरें	प्रस्तावित दरें
परीक्षा नियंत्रक	₹ 15,000/–	₹ 15,000/–
कुलसचिव/वित्त नियंत्रक	₹ 5000/–	₹ 7500/–
सहायक परीक्षा नियंत्रक	₹ 10,000/–	₹ 10,000/–
उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव/जनसंपर्क अधिकारी आदि	₹ 5000/–	₹ 7000/–
समूह 'ग'	वेतन का 10 %	₹ 6000/–
समूह 'घ'	वेतन का 10 %	₹ 5000/–

मद संख्या 11:16— वित्तीय वर्ष 2016—2017 के वार्षिक लेखो का अवलोकन।

समिति द्वारा पताका 'क', 'ख' एवं 'ग' पर संलग्न विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2016—17 के वार्षिक लेखे का अवलोकन कर संतोष व्यक्त किया गया।

मद संख्या 11:17— वित्तीय वर्ष 2013—2014 एवं 2014—2015 तथा 2015—2016 व 2016—2017 की ऑडिट आपत्तियों पर कार्यवाही एवं अवलोकन।

वित्तीय वर्ष 2013—2014 एवं 2014—2015 एवं वित्तीय वर्ष 2015—2016 एवं 2016—2017 की ऑडिट ऑपत्तियां पर कृत कार्यवाही से समिति को अवगत कराया है। समिति द्वारा ऑडिट आपत्तियों का अवलोकन करते हुए शीघ्र अनिस्तारित आपत्तियों को निस्तारित किए जाने का सुझाव दिया गया।

<u>कुलपति महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव</u>

(क) शासन से अनुपूरक बजट में अनुदान संख्या—11 मानक मद—43 में प्राप्त धनराशि ₹ 100 लाख को व्यय किये जाने पर अनुमोदन।

सदस्य सचिव द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017—2018 में अनुदान संख्या—11 आयोजनेत्तर पक्ष मानक मद—43, अनुपूरक बजट में शासन द्वारा शासनादेश संख्या—39/XXIV(6)/2018-42(4)/12 दिनांक 21 फरवरी, 2018 के माध्यम से विश्वविद्यालय हेतु धनराशि ₹ 100 लाख का बजट स्वीकृति प्रस्ताव समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। चूंकि अनुपूरक बजट प्राप्त होने की प्रत्याशा में कार्मिको के वेतन का भुगतान शुल्क मद से किया जा रहा है। अतः शासन से प्राप्त अनुपूरक अनुदान धनराशि ₹ 100 लाख का व्यय कार्मिकों के वेतन भत्ते एवं पूर्व में शुल्कादि से वेतन मद किए गए भुगतानित धनराशि के समायोजन पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(ख) वित्त समिति की बैठक में प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों को धनराशि ₹ 3000/— का मानदेय स्वीकृत करने पर विचार।

विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद बैठकों में प्रतिभाग करने वाले वाह्य सदस्यों को धनराशि ₹ 3000/— का मानदेय प्रदान किया जाता है। चूंकि वित्त समिति में भी कार्यपरिषद के सदस्य द्वारा

02. विज्ञान विद्याशाखाः–

S. No.	Name of the Program	Duration	Examination and other fee	Proposed Program fee(Rs.)	Total Fee (Rs.)
1	B.Sc. (ZBC)	3 years	7650	4000	**11650**
2	B.Sc. (PCM)	3 years	5650	4000	**9650**
3	M.Sc. I	1 year	4750	8000	**12750**
4	M.Sc. II	1 year	4900	8000	**12900**

03. पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन विद्याशाखाः–

S. No.	Name of the Program	Duration	Examination and other fee	Proposed Program fee(Rs.)	Total Fee (Rs.)
1	M.A. (MAJMC-17)	2 years	4050	10000	**14050**
2	PGDBJ-17	1 year	4500	5000	**9500**
3	CCM-17	6 months	1050	2000	**3050**

04. स्वास्थ्य विज्ञान विद्याशाखाः–

S. No.	Name of the Program	Duration	Examination and other fee	Proposed Program fee(Rs.)	Total Fee (Rs.)
1	M.A.Yoga (MAY)	2 years	4950	17000	**21950**

मद संख्या–11.14 भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 22.02.2018 के कार्यवृत्त पर विचार एवं अनुमोदन।

विश्वविद्यालय भवन निर्माण समिति की दिनांक 22.02.2018 को सम्पन्न बैठक कार्यवृत्त संख्या–11 के क्रम में विश्वविद्यालय की 12(बी) की शर्त को पूरा करने हेतु बजट की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय के शुल्क आय स्रोंत से ₹ 05.00 करोड़ को नियमानुसार शासन के अनुमोदन के उपरान्त व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। समिति द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या–11.15 विश्वविद्यालय परिसर में सोलर पॉवर प्लान्ट एवं रेन हार्वेस्टिंग प्लान्ट की स्थापना एवं व्यय पर विचार।

समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की सराहना की, सोलर पॉवर एवं रेन हार्वेस्टिंग की व्यवस्था को आगे बढ़ाने हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसी के अनुरूप कार्यवाही हेतु वित्तीय वर्ष 2018–2019 हेतु धनराशि ₹ 30.00 लाख (तीस लाख मात्र) का बजट प्राविधान पर अनुमोदन प्रदान किया गया।